04.03.25

पत्रावली पेश। उभय पक्ष अधिवक्ता उप.।

उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा लियादरा पटवार हल्का बिजरोल के खेतह खसरा न. 25, 30, 31, 543/26, 544/32, 545/29, 546/104 में पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक यथावत फरमावे।

अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 द्वारा जरिये अधिवक्ता ने बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत, मनगढ़त व [illegible] होने से प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नं. 17/21

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति अवलोकन व अध्ययन किया। प्रथम द्रष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

अत: अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा लियादरा पटवार हल्का बिजरोल के आराजी ख.न. 543/26, 544/32, 545/29, 25, 30, 31, 546/104 जुमले रकबा 8.16 हेक्टेयर में राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम दाखिल दफ्तर हो। (sd)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner